अध्याय प्रथम

शोध परिचय

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

अध्याय–प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना –

"शिक्षा ज्ञान की कुंजी है" तथा शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। विकास नैसर्गिक निरंतर होता रहता है। बच्चों में प्रतिभा का अथांह भंडार होता है। इन प्रतिभाओं को विनष्ट होने से बचाना शिक्षा का मुख्य कार्य है। उन्नति की दौड में तथा आज के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विकास की आधार शिला है। जीवन की चहुँमुखी और उत्तरोक्त गुणात्मक प्रगति का मार्ग शिक्षा की ज्योति से ही सर्वाधिक प्रकाशित होता है। किसी देश की प्रगति में उस देश की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

शिक्षा विकास में परीक्षण प्राचीन काल से होता आ रहा है। शिक्षा दिक्षा में मत्रोंचारण की दक्षता को जाँचने के लिए लिया जाने वाला मौखिक परीक्षण या गुरू द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का लिया गया पूर्व परीक्षण शैक्षिक मूल्यमापन ही है। इस प्रकार शैक्षिक एवं मानसिक मापन की आवश्यकता प्राचीन काल से रही है। आज उसके सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन आया है।

प्रारंभ से आज तक शिक्षा के बदलते परिवेश में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु अनेक विचार मंथन किये जा रहे है। इस प्रक्रिया में अनेक आयोगों ने अपनी संतुष्टियाँ दी है। जिसमें सर्जेन्ट योजना 1944, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964–66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 1988, 2000, 2005 ने परीक्षा सुधार एवं प्रशिक्षण सुधार हेतु सुझाव दिये है। साथ केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड, एन.सी.ई.आर.टी., आय. सी.एस. ई., आय जी.सी. एस. ई., और आय. बी. संस्था ने परीक्षा सुधार की और विशेष रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यमापन करने हेतु तथा श्रेणी की व्यवस्था लागू करे पर जोर दिया है।

अब अनेक परिवर्तन की मालिका लेकर ''शिक्षण अधिकार'' अधिनियम 2009 आया। शैक्षिक गुणवत्ता एवं मात्रात्मक विकास की दृष्टि में हर एक बालक को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण यह इस अधिनियम का उद्देश्य है, इसके अंतर्गत परीक्षा सुधार क्रांतिकारी परिवर्तन है।

मूल्यमापन पद्धति में बदल अध्ययन–अध्यापन के बदल की दिशा बतलाने वाला है, पहले चार, छः महीनो अथवा वर्ष अंतराल से परीक्षा होती थी। तब बालक के अध्ययन–शैक्षिक प्रगति के तरफ ध्यान देने की व्यवस्था नहीं थी। परीक्षा सिर्फ रटन अर्थातः स्मरण पर आधारित रहने से विशिष्ट सांचे में ढ़ले बालमन पर बड़ा बोझ डालने वाली थी। अब माहिती का बोझ उठाने लगाने वाली परीक्षा न रहते हुये छात्रों का समय समय पर मूल्यमापन होगा। अब अध्यापक को भी शिक्षण के नये विधा का परिचय दिया जा रहा है, ताकि वे प्रशिक्षित होकर विद्यार्थी व्यवहार का संपूर्ण मूल्यमापन करने में सक्षम हो। तभी वे विद्यार्थी स्तर का परिमाप कर पायेंगे, तथा उनके भविष्य कथन व परामर्श में सहायक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। बालक कैसे सीखता है? उसको क्या अच्छा आता है? उसे कहां कठिनाई आती है? इसका समावेश सतत एवं व्यापक मूल्यमापन पद्धति में किया गया है। स्मरण के साथ ज्ञान, उपयोजन विचारशीलता, सर्जनशीलता, कल्पकता जैसी क्षमता बालक के प्रतिभा का सर्वांग विकास में बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक कौशल्य, भावनिक अंगों का परिषोष करती है। यही उद्देश्य सामने रखकर सतत एवं व्यापक मूल्यमापन (CCE) पद्धति का स्वीकार किया गया है। जिसमें बच्चे स्कूल जीवन को बाहरी जीवन के साथ जोडे, वह स्वयं कुछ सिखे, उसके बारे मे जाने, समझे एवं एक साथ रहने की भावना का विकास कर सकें। साथ ही अध्यापक नये दृष्टिकोण के खोज में विश्व को कक्षा के अंदर लाने का प्रयास करें।

इस प्रयास की दिशा में अध्यापक की गुणवत्ता भी निर्भर करती है। आने वाली नयी पीढ़ी को बौद्धिक परम्परायें तकनीकी कौशल्य पहुचाने और सभ्यता विकास को प्रज्वलित रखने में सहायता करने अध्यापक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण योगदान है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बालकेन्द्रित शिक्षण विधि एवं मूल्यमापन की नवीन विधियों का प्रयोग करने पर बल दिया गया है। इसी दिशा में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यमापन राज्य के सभी विद्यालयों में सत्र 2010-11 को लागू किया गया है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सी.सी.ई. एक कारागर उपाय है। अतः निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन एवं प्रशिक्षण परिषद, पुणे-30 विभाग के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान से शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु कक्षा में सी.सी.ई. प्रणाली को लागू करने पर अध्यापकों को चार दिवसीय सी.सी.ई. प्रशिक्षण दिया गया।

प्रस्तुत अध्ययन इसी सी.सी.ई. प्रशिक्षण की समझ के दिशा में एक प्रयास है। जो मूल्यमापन की योग्यता एवं बालक के भविष्य निर्माण में एक सफल प्रबोधन विचार साबित होगा।

1.2 भारत में अध्यापक प्रशिक्षण विकास एवं परीक्षा सुधार

1.2.1 प्राचीन काल

अध्यापक प्रशिक्षण :-

इस काल में शिक्षण को उच्च व्यवसाय माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि वहीं व्यक्ति अध्यापक बनने योग्य है जिसने स्वयं ज्ञान के आधार पर आचरण किया हो और ब्रम्हचर्य के सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया हो। मुण्ड़ोपनिषद में भी कहा गया है, कि अध्यापक विद्धावान परिवार तथा ब्रम्हनिष्ठ व ब्रम्हचारी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आध्यामिक एवं लौकिक ज्ञान प्राप्त किया है उसे गुरू का दर्जा दिया जाता था।

परीक्षा प्रणालीः- इस काल में परीक्षा ज्ञान एवं अनुभव पर अधारित थी। शिक्षा समाप्त होने पर छात्रों की मौखिक परीक्षा होती थी। इसके लिए छात्रों को विद्‌वानों के सामने उपस्थित होकर विद्‌वानों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। परीक्षा सरल से जटील अनुकरर्णीय शुद्धमंत्रों उच्चरण पर

विशेष बल देते हुये यह शिक्षण प्रक्रिया तीन मानसिक प्रक्रिया श्रवण, मनन, और निदिध्यासन (चिंतन) पर आधारित थी।

1.2.2 बौद्ध काल :-

अध्यापक प्रशिक्षण :- बौद्ध काल में अध्यापक का कार्य सम्मान का कार्य माना जाता था। अध्यापक जीवनपर्यन्त अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था। इस काल में वही प्रशिक्षित हुवा करते थे जिन्होंने बौद्ध धर्म व उसके सिद्धांतों में दक्षता हासिल की है। इस काल में धर्मगुरू (भिक्षू) थे जिन्हें थेरा तथा महाथरों के नाम से उल्लेख जाता था।

परीक्षा प्रणालीः- इस काल में परीक्षा पद्धति मौखिक तथा प्रतियोगिता आधारित थी। जिन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में दक्षता हासील की उसको थेरा तथा महाथरों की उपाधि दी जाती थी।

1.2.3 मध्यकाल मुस्लिम काल की शिक्षा :-

अध्यापक प्रशिक्षणः- यहा मस्जिद के काजी (धर्मगुरू) खुद कुराण का प्रशिक्षण लेके छात्रों को पाठन-पठन लेखन द्वारा शिक्षण देते थे।

परीक्षा प्रणाली :- मुस्लिम काल में परीक्षा प्रणाली निश्चित नहीं थी, अध्यापक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यमापन करके उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता था।

साथ ही अपने अध्ययन के विषय में असाधारण विद्या का प्रमाण देने वाले छात्र को उपाधियों से विभूषित किया जाता था। उदाहरणार्थ- साहित्य के छात्रों को काबिल, धर्मशास्त्र के छात्रों को अमिल और तर्कशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र के छात्रों को "फाजिल" उपाधि से अंलकृत किया जाता था।

1.2.4 आधुनिक पद्धतिः-

आधुनिक शिक्षा पद्धति में अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना सर्वश्री केरी मार्शसेन और बार्ड ने 1793 इ.स. में श्रीरामपुर (बंगाल) में की।

यह विद्यालय डच और अंग्रेज मिशनरियों ने मिलकर खोला था। जून 1826 में सरकार ने सर्वप्रथम मद्रास में अध्यापक-प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की थी।

1.2.5 वुड ऐबर्ट रिपोर्ट- 1936-37

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE ने दिसंबर 1935 की बैठक में भारतीय शिक्षा सुधार पर निम्न सुझाव दिये।

अध्यापक प्रशिक्षणः- विद्यालयों के अध्यापकों के तीन वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स की व्यवस्था कर प्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों के लिए अल्पकालीन अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए साथ ही रचनात्मक विशेष शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए।

परीक्षा सुधारः- प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा बच्चों की स्वाभाविक रूचियों और क्रियाओं के विकास पर अधिक ध्यान देने का प्रयास किया गया।

1.2.6 सार्जेन्ट योजना- 1944

गवर्नर जनरल की प्रबन्धकारिणी समिति की पूननिर्मित समिति ने CABE को आदेश दिया कि वह विकसित शिक्षा योजना तैयार करे उसमें निम्न सुझाव दिए गये थे।

अध्यापक प्रशिक्षणः- सभी प्रकार के स्कूली अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कर अवधि एक साल होनी चाहिए। प्रशिक्षितों हेतु अभिनव पाठ्यक्रम, निःशुल्क प्रशिक्षण, आवासीय व्यवस्था साथ ही आर्थिक मद्द एवं विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को शालाओं में नियुक्त किए जाने हेतु सुझाव दिये गये।

परीक्षा सुधारः- प्राथमिक स्तर पर बाह्य परीक्षाएँ नहीं होनी चाहिए, विद्यालयों द्वारा ही परीक्षा ली जाए। बाहरी परीक्षाओं को स्थान नहीं दिया गया।

स्वतंत्रा प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में विकास की दृष्टि में अनेक विचार मंथन शुरू हुये, शिक्षा का स्तर उपर उठाने अध्यापक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन परीक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता के तरफ देखते हुए नि म्न आयोग के सुझाव कुछ इस प्रकार थे

1.2.7 माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन 1952-53)

अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझावः- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा हेतु अलग अलग शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय होने चाहिए जो राज्य के शिक्षा विभाग से सम्बधित होकर उसमें योग्यता स्नातक होनी चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रयोगिक प्रशिक्षण, सहपाठ्चारी क्रिया और अभिनव पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देना चाहिए। अध्यापकों के अभाव की पूर्ति करने के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए।

परीक्षा सुधार संबंधी सुझावः- बाहय परीक्षा कम कर पाठ्यक्रम समाप्ती पर एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाए। निबंधात्मक परीक्षा में सुधारणा कर विचार प्रधान प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा के मूल्यमापन हेतु छात्रों के नियमित कार्यो और आंतरिक परीक्षाफल पर ध्यान देना। प्रगति ब्यौरा लिखने हेतु संचयी अभिलेख का प्रयोग करना। परीक्षा में सेमेस्टर प्रणाली अपनाकर अंकों के स्थान पर ग्रेड निर्धारण करना आदि सुझाव दिये गये।

1.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन 1964-66)

अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझावः- अध्यापक के शिक्षण कौशल में सुधार लाने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पर बल दिया जाये। इसके लिए प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाये। प्रशिक्षण के पाठ्यम में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ अभ्यास शिक्षण को भी बराबर का स्थान देकर विशिष्ट पाठ्यक्रमों को विकसित कर शिक्षण प्रशिक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना। प्रशिक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण को अधिक महत्व देना आदि सुझाव दिये गये।

परीक्षा सुधार संबंधी सुझावः– शिक्षण के सभी स्तरों पर मूल्यमापन सतत होना चाहिए। बाह्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठता तथा आंतरिक जांच व्यापक होनी चाहिये। जिसमें निरीक्षण, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मनोवृत्तियाँ रुचि, योग्यता का मापन किया जाये। साथ ही लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त मौखिक तथा निदानात्मक परीक्षा का प्रयोग कर संचित अभिलेख पत्रों की व्यवस्था करना। केन्द्रीय परीक्षा सुधार इकाई स्थापन कर अध्यापकों एवं परीक्षकों को मूल्यमापन की आधुनिक तकनीकियों से परिचित कराया जाए आदि सुझाव दिए गये।

1.2.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968

अध्यापक प्रशिक्षण संबधी सुझावः– शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार कर उसका स्तर ऊँचा उठाया जाए। पूर्णकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के साथ साथ अन्तसेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, अध्यापकों को निरन्तर अद्यतन ज्ञान एवं कौशल से परिचित कराया जाए। आदि सुझाव दिये गये।

परीक्षा सुधार संबंधी सुझावः– प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण परीक्षा की स्थापना की जाये विस्तृत आधार पर पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अशंकालीन प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाये तथा बाह्य परीक्षाओं को कम किया जाए। आन्तरिक एवं सतत मूल्यमापन की व्यवस्था बनाई जाए। माध्यमिक स्तर पर कक्षा दस के बाद पहले सार्वजनिक परीक्षा होगी। किसी भी स्तर की परीक्षा को विश्वसनीय एवं वैध बनाया जाए। परीक्षा परिणामों में बाह्य और आंतरिक मूल्यमापन के प्राप्तांक अलग अलग दिखाए जाएँ। अंक के स्थान पर ग्रेड दिए जाए। सतत मूल्यमापन को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य किया जाये, आदि सुझाव दिये गये।

1.2.10 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव :– नई शिक्षा नीति में शिक्षा के गिरते स्तर को ऊँचा उठाने तथा नये रीफ्रेशर्स कोर्स का अध्यापक को प्रशिक्षण दिए जाने

हेतु सुझाव दिये गये है। क्योंकि इस कोर्स की सहायता से अध्यापकगण विकसित होती हुई नई शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

मूल्यमापन प्रक्रिया तथा परीक्षा में सुधार संबंधी सुझावः– नई शिक्षा नीति में अंक के स्थान पर 'ग्रेड' का प्रयोग किया जाए। रटाई जोर को हटाकर ऐसी सतत एवं व्यापक मूल्यमापन प्रक्रिया का विकास कर शिक्षा के शास्त्रीय (Schalastic) तथा शास्त्रोतर (Co.Schalastic) पहलू समाविष्ट हो। और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त हो। अध्यापकों, छात्रों तथा माता–पिता के द्वारा मूल्यमापन प्रक्रिया का प्रभावी प्रयोग किया जाए, परीक्षा आयोजन में सुधार शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में सुधार का भी प्रावधान किया है। माध्यमिक स्तर पर क्रमबद्ध रूप में सेमेस्टर प्रणाली का प्रारंभ करने तथा संस्था संस्थागत मूल्यमापन की प्रणाली को सरल बनाया जाए। बहारी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाए। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाए जिससे कि मूल्यमापन की एक वैध तथा विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके। अर्थात सीखने सीखाने की प्रक्रिया सशक्त हो कर अत्यांधिक संयोग तथा आत्मगतता के अंश को समाप्त करने हेतु सुझाव दिया गया है।

1.2.11 कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992

परीक्षा सुधार संबधि सुझाव– रटन पद्धति समाप्त कर सतत एवं व्यापक मूल्यमापन पर जोर दिया जाऐ जो शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक विषयों पर आधारित रहे साथ ही जो पूरे वर्ष भर चले। ताकि छात्रों का ज्ञानात्मक भावनात्मक, विकास हो सके अंको की जगह ग्रेड का प्रयोग किया जाये। केवल कक्षा 10 व 12 की समाप्ति पर जनपरीक्षायें ली जाऐगी। परीक्षा में नकल को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जाये। राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू की जाए। प्रत्येक राज्य की शिक्षा समिति अपनी मूल्यमापन पद्धति में लवचिकता लाये एवं माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं का अनेक क्षेत्र के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यमापन करें। कक्षा 1 से 5 तक में मूल्यमापन मातृभाषा में होना चाहिए।

1.2.12 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988

अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझावः– अध्यापक का गुणात्मक विकास करने एवं अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करने हेतु अध्यापकों को मूल्यमापन के तकनिकी, प्रविधि से परिचित करने ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिसमें ज्ञानात्मक अधिगम का अनुर्वतन हो जाऐ साथ ही प्रशिक्षण की सुविधा पर ध्यान दिया जाए आदी सुझाव दिये गये।

परीक्षा सुधार संबंधी सुझावः– शैक्षिक परीक्षा सेवा की स्थापना की जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यमापन परीक्षा में करना चाहिए। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा को लागू करना। मार्क का वर्गीकरण ग्रेडिंग से विषय से विषय तक होना चाहिए। परीक्षा में ज्ञानात्मक कौशल्य के साथ संज्ञानात्मक स्तर में कॉमन कोर के साथ लवचिकता हो। जिससे प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों का अधिगम अनुर्वतन हो सके।

1.2.13 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000

अध्यापक प्रशिक्षण– अध्यापकों को विद्यार्थी का संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक विकस रेकार्ड तैयार करने हेतु प्रशिक्षित करना। नई शिक्षा पद्धति संदर्भ में अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार करना, प्रशिक्षण ऐसा देना चाहिए जिससे कि, अध्यापक सही अवस्था में जागृक रहकर व्यवस्थित परिणाम आकलन कर सके। अध्यापकों को ग्रेडिंग हेतु विशेष प्रशिक्षण देना आदि सुझाव दिये गये।

परीक्षा सुधार– मूल्यमापन पद्धति के प्रबंधन को सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए। परीक्षा में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के पूर्व प्राथमिक चरण में मौखिक परीक्षा और अनौपचारिक बातचित पर जोर दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर मौखिक एवं लिखित पाठ्य– सहगामी क्रिया, गति विधियों में खेल क्रीडा, शारीरिक प्रोत्साहन इनका मूल्यमापन करना चाहिए। प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा लचीली दक्षता आधारित एवं कार्य अनुसंधानात्मक होनी चाहिए। सतत

एवं व्यापक मूल्यमापन होना चाहिए। रटन पद्धति को कम महत्व देकर वस्तुबोध कौशल्य प्रयोग और रचनात्मक पहलूओं पर अधिक अधिक जोर देना चाहिए। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक दोनों प्रकार के विकास का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

1.2.14 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005

अध्यापक प्रशिक्षण अध्यापकों को प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए। बिना किसी सुविधा के कक्षा प्रबंधन कैसे करें, इकाईयों और विषय वस्तु नियोजन के बारे में बता भर देना अध्यापकों को कोई लाभ नहीं देता इसीलिये विस्तृत पाठ–योजना अभ्यास तथा प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभवों द्वारा किस प्रकार बहुस्तरीय स्कूलों में कामकाज होना है। ऐसी परिस्थितियों की फिल्मों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि अध्यापक अपने आत्मविश्वास में कमी को दूर कर सके।

परीक्षा सुधारः– सालभर के दौरान अच्छे प्रश्न छात्रों से भी मंगा लिए जाए। विशेषज्ञों के मदद से कठिनाई स्तर क्षेत्र, अवधरणा, दक्षता तथा हल करने में लगने वाले समय के अनुसार प्रश्न पत्र बनाए। प्राप्तांको के बजाय श्रेणी का उपयोग करना । सत्र के मध्य आंतरिक आकलन करना चाहिये। प्रत्येक स्कूल को एक सतत एवं व्यापक मूल्यमापन योजना लागू करनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली को अधिक मुक्त लचीला, रचनात्मक, सरल अर्थात आकलन लचिला होना चाहिए। कक्षा 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया जाए। स्कूल के अंत की बोर्ड परीक्षा और स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षाओं को अलग करना चाहिए। केन्द्रीय संस्था द्वारा स्पर्धात्मक परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए।

1.3 अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापक प्रशिक्षण अध्यापक को उसके ज्ञान क्षेत्र से सम्बंधित विषयों, शिक्षण विधियों प्रविधियों, सिद्धांतों नियमों, मूल्यों के ज्ञान से परिचित कराता है तथा उस ज्ञान का शैक्षणिक उपयोग दैनिक जीवन में कैसे करना है,

इसके अंतर्गत व्यावसायिक अध्यापकों को उनके व्यवसाय से संबंधित निरंतर जानकारी प्रदान कर व्यावसायिक गुणों तथा कौशल का सुधार एवं विकास इस अध्यापक प्रशिक्षण से होता है।

1.3.1 अध्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकताः–

आज शिक्षा निरंतर परिवर्तनों से प्रभावित हो रही है। इन नये आविष्कारों एवं सुधारों का शैक्षिक परिवेश में परिवर्तन फलस्वरूप शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्क्रम, शिक्षण विधि, अनुदेशन सामग्री द्वारा शिक्षा प्रक्रिया को आधुनिक गतिशील बनाने शिक्षा विस्तार करने, अध्यापकों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करने प्रशिक्षण आवश्यक है। विषय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन तथा अध्यापक गुणों में विकास करने साथ ही कौशल, प्रवणता, अभिरूचियों में आवश्ययक परिवर्तन करने। शैक्षिक परिवर्तन से नए परिवेश में जो समस्या आ रही है उन्हें भली प्रकार समझकर समाधान करने हेतु आज समस्याओं का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। इसलिये इनके समाधान करने नवीन सूचियों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

1.3.2 अध्यापक प्रशिक्षण के उद्देश्य :–

1. शिक्षा की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये नये नये उद्दीपनों को प्रदान करना।
2. अध्यापकों को अपनी समस्याओं के प्रति जानकारी प्रदान करना तथा उनको हल करने के लिये उनके ज्ञान एवं बोध का उपयोग करने में सहायता प्रदान करना।
3. शिक्षा में हो रही नयी शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों से अध्यापकों को अवगत कराना।
4. अध्यापक को मूल्यमापन प्रविधियों एवं पाठ्क्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना।
5. अध्यापकों के मानसिक दृष्टिकोण एवं व्यवसायिक गुणों में वृद्धि करना।

1.4. परीक्षा का अर्थ :-

परीक्षा का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र भिन्न भिन्न रूपों से होता है। हमारा अध्ययन क्षेत्र शिक्षा है। अतः हम शिक्षा के संदर्भ में ही परीक्षा के स्वरूप एवं कार्य आदि पर दृष्टी डालते हुये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शैक्षिक योग्यता का मापन करने के लिए कभी उनसे मौखिक रूप से प्रश्न पूछते है और उनसे मौखिक उत्तर प्राप्त करते है। कभी-कभी उनके सामने कोई वस्तु क्रिया या स्थिति प्रस्तुत करते हैं। जिसके प्रति वे अनुक्रिया करते है। इन सब विधियों को परीक्षा कहते हैं।

1.4.1 परीक्षा सुधार क्यो ?

प्राचीन काल से चले आ रहे परीक्षा की पद्धति के कारण बच्चों तथा बड़ों पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ रहा है कि अब इस परीक्षा के तरीके में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई है।

अभी के पाठ आधारित और प्रश्नोत्तरी प्रकार समीक्षा की विधि को बदल दिया जाए इससे दबाव का स्तर काफी बढ़ गया है और इससे रटन विधि को बढवा मिलता है।

- शहरी बच्चे बहुत अधिक अच्छा प्रदर्शन करने हेतु तनाव में रहते है ।
- ग्रामीण बच्चे इस कारण तनाव में रहते है कि वे परीक्षा में असफल ना हो जाए। असलता की दर विशेषकर ग्रामिणों गरीबों तथा सामाजिक रूप से पिछडे वर्ग के बच्चों में आता है।

इन सभी समस्याओं के कारण संपूर्ण मूल्यमापन या परीक्षा की पद्धति में सुधार की आवश्यकता है जिससे बच्चों का सर्वागिंन विकास बिना किसी तनाव के हो सके।

1.5 मापन

किन्ही निश्चित इकाईयों में वस्तु, गुण, योग्यता, अर्जित व्यवहार तथा विशेषता के पाए जाने की मात्रा का पता लगाना ही मापन है।

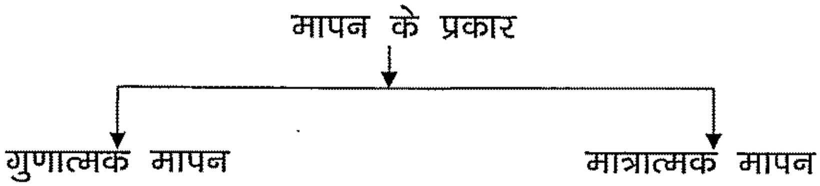

1.5.1 मूल्यमापन

"विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनका अर्थापन करने की प्रक्रिया को मूल्यमापन कहते हैं।"

–क्वालेन व हन्ना' के अनुसार

1.5.2 मूल्यमापन प्रक्रिया –

मूल्यमापन की प्रक्रिया में शिक्षण तथा परीक्षण साथ साथ किया जाता है।

मूल्यमापन प्रक्रिया में निम्न तीन क्रियायें की जाती है:–

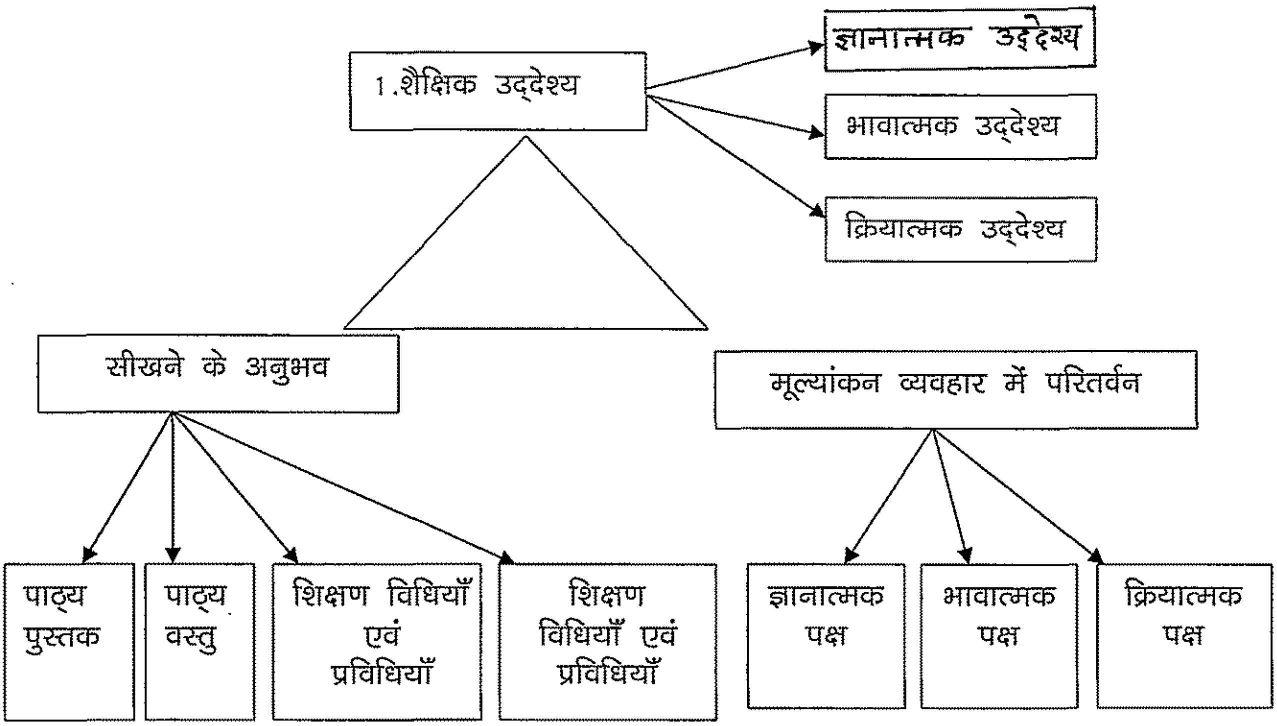

1.6 शोध का शीर्षकः–

अनुसंधान के लिए शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले यह अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है कि शोधार्थी किस क्षेत्र में अपना अनुसंधान कार्य करने जा रही है, व अब तक उस क्षेत्र में कितना अध्ययन हो चुका है। उस क्षेत्र में काम करने में उसकी कितनी रूचि, अभिलाषा व गहन अध्ययन है।

अतः शोधार्थी ने अपनी रूचि के अनुसार लघु शोध को प्रारंभ करने के लिए "सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सी.सी.ई. (सतत एवं व्यापक मूल्यमापन) प्रशिक्षित प्राप्त अध्यापको प्रशिक्षण प्राप्त CCE के प्रति समझ" केन्द्र बिन्दू अंतर्गत शीर्षक का चुनाव किया है। जो कि अपने आप में शिक्षा का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विकास करने संदर्भ में विद्यार्थी के सर्वागीण विकास से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन है।

1.6.1 शोध समस्या का कथन–

"सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यमापन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की सतत एवं व्यापक मूल्यमापन के प्रति समझ एक अध्ययन"

1.7 समस्या में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा

❖ शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यमापन

मूल्यमापन द्वारा शिक्षण के परिणामों एवं उनसे सम्बधित प्रक्रियाओं के आंकन पर बल दिया जाता है। जब यह मूल्यमापन शिक्षण क्रिया का अभिन्न अंग बनकर उसे नियमित रूप में संगति दिशा एवं उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान करता है तो इसे सतत मूल्यमापन का नाम दिया जाता है। मूल्यमापन को शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरन्तरता के आधार पर जोड दिया जाए तो इसे ही सतत मूल्यमापन की संज्ञा दी जाती है।

मूल्यमापन के केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर न देकर शैक्षणिक व्यवस्थाओं द्वारा पडने वाले संज्ञानेतर पक्षों पर प्रभाव यथा कौशल रूचि, अभिवृत्ति मूल्य एवं व्यक्तित्व विकास के आंकलन को भी मूल्यमापन की परिधि में लाया जाए तो इसे व्यापक मूल्यमापन कहा जाता है।

इन दोनों ही अवधारणा को संयुकत करते हुये एक नवीन सम्प्रत्यय के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यमापन की प्रणाली का अभ्युदय हुआ है।

❖ **सतत एवं व्यापक मूल्यमापन का महत्व एवं प्रकार्य–**

1. विद्यार्थियों की कमियों, सकारात्मक क्षमता, अधिगम आवश्यकता जानने में अध्यापक की मदद करता है।
2. प्रभावी शिक्षण युक्तियाँ एवं रणनीतियों के अनुप्रयोग में अध्यापक की सहायता करता है।
3. अध्यापक–विद्यार्थी, अभिभावक में अधिगम व्यवस्था न्यूनताओं के प्रति जारूकता उत्पन्न कर विद्यार्थी की अधिगम कमियों को सुधारने में अवसर प्राप्त करता है।
4. अभिप्रेरणा बढाकर अधिगम लक्ष्य तक पहुँचने तथा गुणवत्ता क्षरण रोकने में मदद करता है।
5. सी.सी.ई. सर्वागीन विकास में मार्ग प्रशस्त कर भावी अध्ययन मं निर्देशन परामर्श देने में सहायक है ।
6. इसमें विद्यार्थी का शैक्षणिक एवं सह–शैक्षणिक प्रगति के साथ व्यक्तित्व के विविध पक्षों में रूचि, अभिवृत्ति, आदतों, मूल्य, .चरित्र में होने वाले रूपांतरण का जायता मिलता है।
7. कार्यो की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं सर्वाधिक परीक्षण, मासिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, एकल परीक्षण तथा सत्रान्त परीक्षणों को अपेक्षित निरन्तरता एवं व्यापकता के अनुसार अनुप्रयोग पर बल दिया जाता है। छात्र प्रतिभाग गुणवत्ता, प्रगति लेखा जोखा रखने हेतु उनका पार्श्वचित्र निर्मिती में आधार मिलता है।

❖ सतत एवं व्यापक मूल्यमापन के उद्देश्य –

1. व्यापक अध्ययन प्रक्रिया का सतत मूल्यमापन करना।
2. वर्तन निष्पत्ति (व्यवहार परिवर्तन) करना।
3. छात्र के सभी व्यवहारों गुणों विषयवस्तु की धारण मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का संज्ञानात्मक और संज्ञान सहगामी पक्षों के रूप में मूल्यमापन कर छात्रों के सर्वांगीन विकास के मूल्यमापन की व्यवस्था प्रस्तुत करना।
4. छात्रों में अभ्यास कार्य संशोधन प्रतिपुष्टि एवं प्रबलन के माध्यम से स्वमूल्यमापन, स्वचिन्तन, स्वअधिगम तथा स्व–निर्देशन आदि मौलिक गुणों का विकास करना।
5. वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी मूल्यमापन व्यवस्था को प्रवृत्त कर विशिष्ट एवं विकलांग, अपवंचित बच्चों की पहचान करना तथ उनके सुधारात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की जानकारी देकर उनके उत्तर लिखने और बोलने की प्रवृत्ति का विकास करना ताकी भावी प्रतियोगिता, परीक्षाओं की ओर उन्मुख हो सके।

निर्माणात्मक मूल्यमापन

परिभाषा– "निर्माणात्मक मूल्यमापन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षण के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे है तथा उनके प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए– इन तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है।

–गिलबर्स सैक्स के अनुसार (1989)

संकलनात्मक मूल्यमापन

परिभाषा– "संकलनात्मक मूल्यमापन विशेषतः किसी पाठ्यक्रम या अनुदेशन की इकाई के पूरा हो जाने पर लागू होता है। इस प्रकार के मूल्यमापन की व्यवस्था यह ज्ञात करने के लिए की जाती है कि अनुदेशन (शिक्षण) के उद्देश्य कहां तक प्राप्त हो सके है।"

संकलनात्मक मूल्यमापन में शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिलक्षित वर्तनों को आंकने पर विशेष बल दिया गया है।

एन.ई.ग्रनलन (1985) के अनुसार

निदानात्मक मूल्यमापन

निदान की आवश्यकता तब होती है जब छात्र कक्षा में प्राप्त सामान्य निर्देश, विधियों युक्तिओं में अपनी त्रुटियों तथा कठिनाईयों को दूर नहीं कर पाता है। इसका मूख्य उद्देश्य अधिगम के कारणों को ज्ञात करना तदपरान्त उपचारात्मक क्रिया कलापों की योजना बनाई जाती है। इसमें विशेष रूप से निर्मित निदानात्मक परीक्षणों एवं निरीक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है।

उपचारात्मक मूल्यमापन

निदानात्मक मूल्यमापन में अधिगम की कठिनाईयों को गहराई से जाँच करने के पश्चात उनका उपचार किया जाता है। कठिन और जटिल अधिगम कठिनाईयों के उपचार के लिए उपचारात्मक सेवाओं, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता पडती है।

नवरचनावाद

अवबोध ज्ञान की पहली सिडी है पंचेन्द्रियों द्वारा मिले हुये संवेदनाओं को निरीक्षण द्वारा अर्थ प्राप्त होता है। जिसका रूपांतर ज्ञान में होता है अर्थात सिखने वाला अपने वातावरण से अतः क्रिया कर स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। उन पर चिन्तन कर अपने ज्ञान को पुनः संरचित तथा पुनः गठित करता है। यहा सिखने वाला स्वयं अपनी समझ विकास करता है। अर्थात पूर्वानूभव के आधार पर ज्ञान निर्मिती कि जाती है।

श्रेणी

श्रेणी गुणात्मक मापन का विवरण देती है। सामान्यता यह एक ही अर्थ के संसूचक होती है। व्यापाक रूप में मान्य वैज्ञानिक एवं मनोनितिक सिद्धांतों

पर आधारित समतुल्यता के स्केल पर व्यक्त होती है। यह मापन त्रुटि के वास्तविक अवबोध पर आधारित होती है। इनका योग एवं औसत सही रूप में ज्ञात किया जाता सकता है। छात्रों की योग्यताओं का सही पार्श्वचित्र प्रदर्शित करने हेतु इनकी व्याख्या किया जा सकती है। ये छात्रों के प्राप्तांक लगभग स्थिर बताते है।

जैसेः- ए1 91-100% 9 एक्सेप्शनल, ए2 81-90% 8 एक्सीलेंट, बी1 71-80% 7 व्हेरी गुड, बी2 61-70% 6 गुड, सी1 51-60% 5 फेयर, सी2 41-50% 4 ऐवरेज, डी 33-40% 3 विलो एवरेज, ई1 21-32% 2 मीड इम्प्रुम्पमेंट, ई2 0.20% 1अनसटिसफाईड।

1.8 सबके लिए शिक्षा का राष्ट्रीय अभियान सर्व शिक्षा अभियान-

पिछले दशक में प्रारंभिक शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा उसमें उनके भागीदारी स्तर में सुधार करने प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में अनेक नये नये कार्यक्रम संचालित किए गए। प्रस्तावित यह सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकारों की साझेदारी में केंन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस अभियान में स्थानीय निकायों को शामिल करके जिला स्तर के विकेन्द्रीकृत प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। यह परिकल्पना कि जाती है कि एक मिशन के रूप में शुरू किए जाने वाले इस अभियान को निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

1. औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों के जरिये अथवा अन्य समकक्ष विकल्पों के माध्यम से 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ करना।
2. सभी बच्चों के वर्ष 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना।
3. सभी बच्चों के वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

4. वर्ष 2010 तक सबके लिए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

1.8.1 सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्यः–

1. बालिकाओं, विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाती के बच्चों सहित सभी बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिल करना और उनके लिए उच्च प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार करना।
3. बीच में विद्यालय छोड़ने वाले कामकाजी बच्चें और औपचारिक विद्यालय न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. अध्यापक के क्षमता का विकास करना।
5. कार्यक्रमों को कार्यरूप देने और उनका अनुश्रवण करनें में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना तथा प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षारता कार्यक्रम करना।
6. वंचित वर्गो तक उन्नत सुविधाओं की पहुँच कराना।
7. विद्यालयों में कार्यकलाप के निरीक्षण कार्य में विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ समुदाय की भागीदारी की व्यवस्था करना।
8. राज्य को योजना निर्माण की इकाई मानने की बजाय जिले को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों की इकाई मानना।

1.8.2 सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषता :–

1. बेसिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करने का एक प्रयास है।
2. पंचायती राज से संस्थाओं विद्यालय, प्रबंध समितियों, ग्राम तथा शहरी ग्रंदी बस्तियों की शिक्षा समितियों, अध्यापक–अभिभावक संघ, मदरं–टीचर संघ को प्रारंभिक स्कूलों के प्रबधं में शामिल करने का प्रयास है।

3. सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनैतिक संकल्प की अभिव्यक्ति है। साथ ही शिक्षा विकास हेतु राज्य के लिए एक अवसर है।
4. केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय शासन की साझेदारी का एक संकल्प है।
5. सामुदायिक स्वामित्व पर बल देता है। संस्थागत क्षमता निर्माण पर बल देता है। जिससे गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
6. सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे में जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना को आधार बनाया गया है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गई है।
7. इस अभियान की अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई।

1.8.3 सबके लिए शिक्षा घोषणा पत्र :-

मार्च 1990 में जोमेतिएन थाइलैण्ड में आयोजित सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन के एक घोषणा पत्र द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों और आंतरराष्ट्रीय अभिकरणों (एंजसियों) से सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के कारगर उपाय करने की मांग की गई।

1.8.4 प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण :-

संवैधानिक अनुच्छेद 45- राज्य इस संविधान की धारा लागू होने के समय से दस वर्ष के अंतर्गत सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेगे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।''

वर्तमान समय में भारत की प्रारंभिक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में से एक हैं किंतु देश में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो विश्व की इस प्रकार की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत है। विश्व के प्रौढ़ निरीक्षण का 30 प्रतिशत भारत में है। अतः देश में साक्षरता स्तर को सुधारनें के लिए सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों एवं 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को शामिल किया यगा, जबकि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा

का लक्ष्य 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को शिक्षित करना है, इसमें 60 प्रतिशत लड़कियाँ होगी एवं 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य है, जिसमें पर्याप्त महिला होगी। जनसंख्यिक दबाव के कारण यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है। यह केवल सन 2050 तक के लिए हैं।

1.8.5 सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख निर्माणक अंग :-

- अध्यापकों की नियुक्ति
- अध्यापक प्रशिक्षण
- प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार
- अध्यापक अधिगम सामग्री का प्रावधान
- ब्लाक कक्षों तथा विद्यालय भवनों का निर्माण
- शिक्षा गारण्टी केन्द्रों की स्थापना।

D- 352

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

1.8.6 सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों की योजना –

नौवी योजना :- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नौवी योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:75 की सहभागिता प्रबंध के आधार पर सहायता दी गई।

दसवी योजना:-

दसवी योजना के दौरान सहभागिता प्रबंध 75:25 है। तथा इसके बाद यह 50:50 के आधार पर दी जाएगी।

ग्यारवी योजना :-

ग्यारवही पंचवार्षिक योजना में सर्व शिक्षा अभियान के खर्च के मौजूदा प्रावधानों में बदलाव को निम्न प्रकार से मंजूरी दी गई :-

वर्ष 2008-2009 के बीच केन्द्र व राज्यों का यह बटवारा 65:35 प्रतिशत के अनुपात में होगा।

वर्ष 2009-10 में 60:40 प्रतिशत के अनुपात में होगा।
वर्ष 2010-11 में 55:45 प्रतिशत के अनुपात में होगा।
वर्ष 2011-12 में 50:50 प्रतिशत के अनुपात में होगा।

1.8.7 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले के भद्रावती विभाग में क्रियान्वित सतत एवं व्यापक मूल्यमापन प्रशिक्षण कार्यक्रम

सतत एवं व्यापक मूल्यमापन प्रशिक्षण के बिन्दु निम्नलिखित है –

1. परीक्षा सुधार क्या, क्यों कैसे, ?
2. वर्तमान परिप्रेक्ष में आवश्यकता क्यों ?
3. शिक्षण की नई परीक्षा पद्धति सी.सी.ई.।
4. सतत एवं व्यापक-मूल्यमापन क्या है ?
5. सतत एवं व्यापक मूल्यमापन का स्वरूप कैसा है ?
   अ) निर्माणात्मक (आकारिक) मूल्यमापन
   ब) संकलनात्मक (संकालित) मूल्यमापन
6. श्रेणी प्रणाली
7. सुधारात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण
8. ज्ञानरचनावाद/ नवनिर्मिती सादा दृष्टिकोण आदि।

1.9 अध्ययन के उद्देश्य –

1. सतत एवं व्यापक मूल्यमापन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की सतत एवं व्यापक मूल्यमापन संकल्पना के प्रति समझ का अध्ययन करना।
2. निर्माणात्मक मूल्यमापन स्वरूप संबंध में प्रशिक्षित अध्यापकों की समझ का अध्ययन करना।
3. संकलनात्मक मूल्यमापन के संबंध में प्रशिक्षित अध्यापकों के समझ का अध्ययन करना।
4. सुधारात्मक शिक्षण के संबंधी प्रशिक्षित अध्यापकों की समझ का अध्ययन करना।
5. उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में प्रशिक्षित अध्यापकों की समझ का अध्ययन करना।
6. नवरचनावाद के संदर्भ में प्रशिक्षित अध्यापकों की समझ का अध्ययन करना।
7. श्रेणी पद्धति के संबंधी प्रशिक्षित अध्यापकों की विचारधारा का अध्ययन करना।

1.10 शोध प्रश्न–

1. सतत एवं व्यापक मूल्यमापन संकल्पना के प्रति सतत एवं व्यापक मूल्यमापन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की क्या समझ है?
2. निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यमापन के सबंध में प्रशिक्षित अध्यापकों का दृष्टिकोण क्या है?
3. सुधारात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या विचारधारा है?
4. नवरचनावाद के संदर्भ में प्रशिक्षित अध्यापकों की क्या विचारधारा है?
5. श्रेणी पद्धति के बारे में प्रशिक्षित अध्यापक क्या सेाचते है?

1.11 शोध की परिकल्पना :–

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का लिंग के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यमापन के समझ में सार्थक अंतर नहीं है।

1.12 अध्ययन का परिसीमन

1. महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले के भद्रवती विभाग तक सीमित है।
2. प्रदत्त का संकलन केवल जिला परिषद के संस्थानिक के शासकीय एवं अनुदानित प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के सी.सी.ई. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों द्वारा किया गया है।
3. इस अध्ययन में स्व–निर्मित प्रश्नावली द्वारा प्रदत्तों का संकलन किया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले के भद्रावती विभाग के केवल 17 विद्यालय के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के 120 अध्यापकों को शामिल किया गया। जिसमें 60 अध्यापक एवं 60 अध्यापिका है।

5. विद्यालयीन गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षित अध्यापकों का नई परीक्षा सुधार पद्धति सी.सी.ई. के परिप्रेक्ष्य में अभिप्राय, कृति विचार व्यवहार समझ आकलन दृष्टिकोण की विशेषता को स्वाभाविक परिस्थितियों में ज्ञान करने का यहां प्रयास किया है।

1.13 शोध अध्ययन की आवश्यकता–

अध्यापक ही शिक्षा का आधार स्तंभ है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रक्रिया की श्रृंखला में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शासकीय स्तर पर शिक्षा की चाहे कितनी ही मनोहर योजना बना ली जाए किन्तु अध्यापक यदि उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित न करें तो वह योजना कदापि सफल नहीं हो सकती।

वर्तमान समय में भारत की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने गुणात्मक और मात्रात्मक बढोत्तरी करने के लिए समानता आधारित शिक्षण देने हेतु शिक्षण प्रशिक्षण असरकारक बनना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा सार्वभौमिकरण में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यमापन (सातत्य पूर्ण सर्वकष मूल्यमापन) संदर्भ में जो योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है उसके अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यमापन क्या है? उसका स्वरूप कैसा होना है? निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यमापन पर कक्षा निहाय स्वरूप कैसा है?, सुधारात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्यों? रचनात्मक और व्यावहारिक ज्ञान किस प्रकार परखा जायेगा? ग्रेडिग का स्वरूप एवं महत्व क्या है? इनका अध्यापकों के शालेय गतिविधियों पर प्रभाव देखने हेतु इन सब बिन्दुओं पर जो प्रशिक्षण अध्यापकों को दिया गया। इनका मूल्यमापन विश्लेषण कैसे करें जिससे ज्ञानरचनावाद का निर्माण छात्रों में किस प्रकार करना है, ताकि बच्चे 'शिक्षा बिना बोझ' से आनंद पूर्वक शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय सहभाग दर्शाते हुये

सर्वागिंन विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्वि बढाने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया क्या वाकही अध्यापक को इतनी जटील मूल्यमापन पद्धति जो कि नये परीक्षा सुधार से संबंधित है। आकलन स्वरूप अतः अध्यापक को इस प्रशिक्षण की समझ कहा तक विकसित हुई इसकों ज्ञात करने हेतु इन्हीं सब मुद्दों के आधार पर अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गयी।